

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग हरसूद

जिला खण्डवा, (म०प्र०)

क्रमांक/ 1464 /भू-अर्जन/2018
प्रति,

हरसूद, दिनांक 06/2018
21/11/18

विषय :- नियंत्रक,
केन्द्रीय मुद्रणालय
म.प्र. भोपाल
भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत घोषणा का राजपत्र में प्रकाशन विषयक ।

--00--

राजस्व प्रकरण क्रमांक 04/अ.82/2017-18 में ग्राम भोजूढाना तहसील खालवा, जिला खण्डवा की निजी भूमि क्षेत्रफल 99.744 हेक्टर के भू-अर्जन हेतु, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक-30, सन् 2013) की धारा-19 के तहत कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म०प्र० शासन राजस्व विभाग जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा की दो प्रतियाँ संलग्न प्रेषित है।

अतः कृपया उक्त घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- 02 प्रतियाँ।



(जगदीश मेहरा)

अनु-विभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी, हरसूद जिला खण्डवा (म०प्र०)
हरसूद दिनांक 21/6/2018

पृष्ठांकन क्रमांक/ 1465 /भू-अर्जन/2018
प्रतिलिपि :-

- 1- संचालक, जन संपर्क संचालन म०प्र० की ओर अधिसूचना की चार प्रतियाँ संलग्न कर इस क्षेत्र में पठे जाने वाले दो बहु प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित । दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन उपरांत समाचार पत्रों की दो प्रतियाँ इस कार्यालय एवं कार्यालय कलेक्टर खण्डवा को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 2- कलेक्टर महोदय, (भू-अर्जन शाखा) जिला खण्डवा की ओर अधिसूचना की प्रति सहित सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर संलग्न अधिसूचना को समुचित सरकार की वेबसाईड पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित ।
- 4- तहसीलदार, खालवा की ओर 06 प्रतियाँ संलग्न कर एक प्रति स्वयं के कार्यालय के सूचना पटल, उक्त अधिसूचना का प्रकाशन उपखंड कार्यालय/तहसील/जनपद पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्राम एवं ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चरपा किया जाकर तामिली इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रेषित ।
- 5- कार्यपालन संत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- जिला नाजिर कलेक्टोरेट खण्डवा की ओर जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चरपा किए जाने हेतु प्रेषित।

अनु-विभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी, हरसूद जिला खण्डवा (म०प्र०)

नस्ती कं० 102/ एलए./2017 / 10114
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 04/अ-82/17-18

खण्डवा, दिनांक 30/08/2018

// उद्घोषणा //

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (1) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	:	खण्डवा
(ख) तहसील	:	खालवा
(ग) ग्राम	:	भोजूढाना
(घ) अर्जित रकबा	:	99.744 हेक्टर

खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा
1/2	0.590	136	0.620	157/1	0.003	193/2	0.590
4/1	0.050	138	1.554	157/2	0.116	186/4	0.800
4/2	0.090	109	0.005	159	0.008	188	0.350
5/1	0.040	111/2	0.220	161	0.005	189	6.430
5/2	0.050	113	0.020	164	0.063	193/4	1.500
5/3	0.100	117	0.930	162/1	0.040	194	1.070
13	0.020	118	0.990	166	0.340	195/1	1.900
14	0.010	119/1	0.700	168	0.210	195/2	1.090
80	0.010	120	0.400	172/1	0.100	196/1	1.370
81	0.010	122	0.400	172/3	0.200	196/2	1.800


खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा	खसरा कमांक	अर्जित रकबा
15/1	0.007	124/1	0.540	172/4	0.200	196/3	1.100
15/2	0.008	119/2	1.980	178	0.510	199/2	1.000
79	0.050	121	0.360	179	1.150	201/3	1.000
83	0.058	125/1	6.100	180/1	0.620	199/3	1.000
84	0.203	124/2	1.980	180/2	0.630	201/1	1.000
111/1	0.490	125/2	1.210	180/3	0.650	201/2	1.180
87	0.150	128	2.410	182/1	1.500	201/4	0.400
132	0.009	129	5.020	182/2	1.500	202	1.820
88	0.028	130	1.350	182/3	0.640	203	1.610
153	0.005	131	0.440	183/1	0.990	205	0.360
99	0.070	155	0.130	183/2	0.780	204	1.490
186/3	1.100	133	4.660	183/3	0.930	206	0.890
193/1	0.590	141	0.014	185	8.170		
191/1	1.090	158	0.005	198	4.090	योग	99.744
108	0.005	152/2/1	0.004	186/1	1.100		
140	0.083	162/2	0.077	193/3	1.700		
112	1.160	152/2/2	0.004	186/2	1.100		
134	0.130	156	1.730	191/2	1.100		
135	1.250	177	0.100	199/1	0.140		

2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है, आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु

3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय मे किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(विशेष गढ़पाले)

 कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग